

न्यायालय – न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय सहारनपुर।

लोक अदालत

अभियुक्त उपस्थित आया और अपना अपराध स्वीकार किया।

अभियुक्त को मोटर अधिनियम के अन्तर्गत अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। वाद बाद मियाद नियमानुसार विनिष्ट किया जाये।

न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय  
सहारनपुर।